सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 3, सोमवार, शाके 1944-जुलाई 25, 2022 *Sravana 3, Monday , Saka 1944- July 25, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

आदेश

जयपुर, जुलाई 5, 2022

संख्या प.6(01)प्र.सु./अनु.-3/2018/RS-958 :-माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश दिनांक 29.03.2022 की अनुपालना में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा को अधिक प्रभावी करने हेतु विभाग के आदेश क्रमांक प. 6(34)प्र.सु./अनु-3/2008 दिनांक 28.06.2008, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा पूर्व में गठित जिला यातायात प्रबंधन समिति को विलोपित करते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 की उपधारा (3) के अंतर्गत **जिला सड़क सुरक्षा समिति** का गठन निम्नानुसार किये जाने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एत्द द्वारा प्रदान की जाती हैः-

1. जिला सड़क सुरक्षा समिति कार्यकारिणी एवं सदस्य :-

I.	कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट(पदेन)	-अध्यक्ष
II.	पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (पदेन)	-सदस्य
III.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पदेन)	-सदस्य
IV.	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (सड़क)	-सदस्य
V.	प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मॉर्थ)	-सदस्य
VI.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	-सदस्य
VII.	अधिशाषी अधिकारी, नगरीय निकाय/सचिव शहरी विकास न्यास /सचिव अधिसूचित प्राधिकरण (पदेन)	-सदस्य
VIII.	प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी	-सदस्य
IX.	राज्य में सड़क सुरक्षा पर कार्य कर रही कम से कम एक सिविल सोसायटी अथवा गैर सरकारी संस्था (एनजीओ)	-सदस्य
X.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	-सदस्य
XI.	अधीक्षण अभियंता (वृत), सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पदेन राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़क के हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर,	-सदस्य सचिव

नोटः-

1) प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग उपरोक्त समिति के सदस्य सचिव के साथ समन्वय स्थापित कर बैठकों के कार्यवाही विवरण तथा निर्णयों की क्रियान्विति की प्रगति रिपोर्ट राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करायेंगे।

2) क्रम संख्या IX पर अंकित सदस्यों का मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

2. जिला सड़क सुरक्षा समिति के कार्य :-

I. जिले में सड़क दुर्घटनाओं की सामयिक समीक्षा करना।

II. राज्य सड़क सुरक्षा नीति एवं उसके उद्देश्यों का क्रियान्वयन एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना।

III. माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सड़क सुरक्षा के क्रम में जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाना।

IV. राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों की जिलों में अनुपालना सुनिश्चित करना।

V. जिले में घटित सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को नियमित रूप से निम्न सूचनाएँ उपलब्ध कराना :-

(क) वाहन का विवरण

(ख) दुर्घटना का कारण

(ग) दुर्घटना स्थल की जाँच एवं प्रमाण विवरण, यदि हो तो

(घ) यातायात उल्लंघनकर्ताओं का विवरण, यदि हो तो

(ड़) दुर्घटना पीड़ित/पीड़ितों की वर्तमान स्थिति

(च) चोट के प्रकार

(छ) पंजीकृत एफआईआर, यदि हो तो

VI. सड़क दुर्घटना आंकड़ों को मासिक आधार पर निम्न वेब पोर्टल्स पर अद्यतन करना

(क) जिले की अधिकारिक वेबसाईट पर अद्यतन करना

(ख) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल पर http://morth-roadsafety.nic.in/edisha/index.aspx अद्यतन करना

VII. जिले हेतु सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार करना।

VIII. जिले में घटित सड़क दुर्घटनाओं का मोटर वाहन अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक अन्वेषण सुनिश्चित करना।

IX. सड़क दुर्घटना मामलों में प्रतिक्रिया समय (Response Time) तथा अस्पतालों में पहुँचाने के समय (Handover Time) में कमी लाने के क्रम में एम्बुलेंसों हेतु उचित स्थान की सुनिश्चितता करना।

X. जिले में पूर्व में घटित दुर्घटनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की एम्बुलेंसों हेतु स्थान का निर्धारण करना।

XI. जिले में घटने वाली बड़ी सड़क दुर्घटनाओं के लिए आपातकाल चिकित्सा योजना तैयार करना।

XII. चिकित्सालयों एवं एम्बुलेंसों के मध्य समन्वय स्थापित करना, पूर्व सूचना प्रणाली विकसित करना एवं आपातकाल के समय चिकित्सालयों में बैड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

XIII. सड़क सुरक्षा आवश्यकताओं तथा समर्पित सड़क सुरक्षा कोष संवितरण हेतु नोडल निकाय के रूप में कार्य करना तथा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के साथ समन्वय स्थापित करना।

XIV. राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् को 4E यथा Engineering (अभियांत्रिकी), Education (शिक्षा), Enforcement (प्रवर्तन) , तथा Emergency (आपातकाल) आधारित सड़क सुरक्षा उपायों हेतु अनुशंसा करना तथा नियमित सूचनाएँ/जानकारी उपलब्ध कराना।

XV. सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने हेतु भले मददगार (Good Samaritan) को बढ़ावा देना।

XVI. राज्य सरकार को आवश्यकतानुसार नियम/स्कीम का प्रारूप बनाने/संशोधन करने हेतु सुझाव देना :-

(क) **नियमः** मोटर वाहन अधिनियम(संशोधित), 2019 की धारा 107, 138, 176, 210 D, एवं 215 D

(ख) **स्कीमः** मोटर वाहन अधिनियम (संशोधित), 2019 की धारा 135

XVII. जिलों में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने हेतु पुलिस तथा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा की गई प्रर्वतन कार्यवाही की समीक्षा एवं कार्ययोजना तैयार करना

3. जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें :-

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान पर भौतिक रूप से किया जायेगा। सदस्य सचिव द्वारा बैठक का कार्यवाही विवरण बैठक आयोजन के 48 घंटों के भीतर जिले की वेबसाइट तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल (बिन्दु संख्या VI (ख) पर अंकित) के साथ राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की ईमेल आइडी addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in पर भी अद्यतन किया जाना आवश्यक होगा ।

यह स्थाई समिति होगी तथा इसका प्रशासनिक विभाग परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
मुन्नी मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।